

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2021/1073

दिनांक : 08/01/2022

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर के अधीन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग-ब का आवासीय भूखण्ड संख्या 67/36-ए (कॉर्नर), क्षेत्रफल 113.12 वर्ग मीटर का निस्तारण नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उक्त आवास का निस्तारण आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

(कश्मी कौर)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक